



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)
डॉ. अम्बेडकर नगर, (मह.), जिला-इन्दौर (म.प्र.) भारत-453441
फोन (07324) 2728 30, 274377 फैक्स (07324) 272350

क्रमांक: ब्राउस/कु.स./छात्रावास आवंटन/2023/1116

दिनांक: 27.10.2023

कार्यालयीन आदेश

विश्वविद्यालय के संत कबीर बालक छात्रावास में शैक्षणिक सत्र :- 2023-2024 हेतु निर्धारित तिथि तक आये आवेदनों में छात्रों का छात्रावास में कमरों का आवंटन रिक्त सीट के सापेक्ष में प्रावधिक रूप से प्रवेश दिया जाता है।

SN	Name of Student	Fathers Name	Class	Cat.
1	KabirUke	Shri Mahendra Uke	B.A-1 st	SC
2	Shreyansh Gajbhje	Shri Surendra Gajbhje	B.A LLB-1 st	SC
3	Mahendra Pratap	Shri Govind Singh	B.A LLB-1 st	SC
4	Sudhanshu	Shri Kailash Suryavanshi	PGDCA1 st	SC
5	Kundan Gangarekar	Shri Badam Gangarekar	B.A-2 nd	SC
6	Raja Dhurwey	Shri Chandra Bhan Dhurwey	B.A-1 st	ST
7	Baldev Muvel	Shri Vijay Muvel	B.sc (Ag.)2 nd	ST
8	Pushpendra Ningwal	Shri Bheru Singh Ningwal	B.sc (Ag.)2 nd	ST
9	Jitendra Girwal	Shri Praveen Girwal	B.A LLB-1 st	ST
10	Anshu Kumar	Shri Niranjan Kumar	B.A1 st	OBC
11	Dhawal Raj Sen	Shri Vijay sen	B.A LLB-1 st	OBC

समस्त छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि:-

- छात्रावास शुल्क प्रति माह राशि रु. 500/- के मान से प्रत्येक वार्षिक शुल्क रु 6000/- आवंटन के समय जमा करना होगा। छात्रावास वार्षिक शुल्क जमा करने के उपरांत ही छात्रावास में कमरे का आवंटन किया जायेगा।
- समस्त छात्र छात्रावास के आवंटित कमरे को अधिसूचना के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर छात्रावास शुल्क जमा कर एलाटमेंट लेटर प्राप्त कर लें अन्यथा रिक्त कमरा किसी अन्य पात्र अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जायेगा।
- छात्रावास के आवंटित कमरों में रसोई गैस , हीटर, पानी गर्म करने हेतु इमरशन राड , टी केतली, मेस के बर्तन तथा अन्य इलेक्ट्रानिक एवं ज्वलनशील पदार्थ न रखे। ऐसी वस्तुएं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- छात्रावास में निवासरत छात्रों को छात्रावास में स्थिति मेस में भोजन करना अनिवार्य है। कमरों में भोजन बनाना या कमरों में भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है।
- छात्रावास से अवकाश जाने के पूर्व संबंधित स्कूल के विभागाध्यक्ष स्वीकृति अवकाश आवेदन छात्रावास अधीक्षक/ सहायक छात्रावास अधीक्षक को निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
- छात्रावास में आवंटित छात्र के अतिरिक्त अन्य एवं बाहरी व्यक्तियों को बिना अनुमति के रखे जाने पर सम्बंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास सुविधा निरस्त की जाएगी।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव मा कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव के निजी सचिव कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. रत कबीर बालक छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्रभारी, परिसर विकास की ओर सूचनार्थ , कमरों की साफ-सफाई एवं मेंटीनेन्स सम्बंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड: प्रशासनिक भवन, संकाय भवन, रत कबीर बालक छात्रावास।

छात्रावास अधीक्षक